न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी

शुभम चौधरी (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
103/2025	2025/108	09.07.2025	28.04.2026

1. मु0 कस्तुरी बेवा गोतीया मीणा निवासी चिकलाड़ तहसील व जिला प्रतापगढ़(राज0)
2. शंकर पिता गोतीया मीणा निवासी चिकलाड़ तहसील व जिला प्रतापगढ़(राज0)
3. मन्नालाल पिता गोतीया मीणा निवासी चिकलाड़ तहसील व जिला प्रतापगढ़(राज0)

—: प्रार्थीगण

—: बनाम :—

1. श्री कचरूलाल पिता रामलाल जाति कलाल निवासी चिकलाड़ तहसील व जिला प्रतापगढ़(राज0)
2. श्री गोपाल पिता रामलाल जाति कलाल निवासी चिकलाड़ तहसील व जिला प्रतापगढ़(राज0)
3. तहसीलदार प्रतापगढ़

—: अप्रार्थी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आंवटन अधिनियम राजस्थान राज्य आंवटन क्रमांक संख्या 315/1966 दिनांक 01.09.1967 को खारिज करने बाबत्।

उपस्थिति :—

1. श्री संजय भारती अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री विमलकुमार मोदी अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

—: आदेश :—

दिनांक 28.04.2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत् प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रकार निवेदन किया कि :—

1. यह कि विपक्षीगण के आधिपत्य की आराजी वाके मौजा चिकलाड प.ह. चिकलाड की आराजी नंबर पुराने 572/2 रकबा 15 बीघा में से 5 बीघा आराजी पर प्रार्थी कमांक 1 के पति एवं श्वसुर व प्रार्थी कमांक 1 के पति एवं श्वसुर व प्रार्थी कमांक 2 व 3 के पिता व दादाजी के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी आज भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में होकर प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के नए नम्बर 753 रकबा 0.58 हे. बने है जिस पर प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है।
2. **यह कि उक्त आराजी का कब्जा लेने हेतु विपक्षी ने गलत तथ्य श्रीमान तहसीलदार साहब प्रतापगढ़ के** समक्ष पेश किये जिस पर तहसीलदार द्वारा आनन—फानन में बिना कोई जानकारी किये एक आदेश दिनांक 21.03.2025 को कमेटी गठित कर चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी का कब्जा दिलाने हेतु

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

पारित कर दिया। उक्त कमेटी बिना प्रार्थी को सूचना दिये दिनांक 26.03.2025 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी का कब्जा दिलाने हेतु मौके पर आई व मौके पर काफी विवाद होने पर उक्त आदेश जो लेकर आई थी उस आदेश कमांक को मौके पर कमीटी को पढाया गया तब जाकर मौके से चली चली गई जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 26.03.2025 को ज्ञात हुई कि उक्त आराजी विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड हो चुकी है प्रार्थीगण तुरंत अपने अधिवक्ता से मिलकर न्यायालय एवं तहसील रिकार्ड में जानकारी करने पर नकल आवेदन पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ एवं श्रीमान तहसीलदार साहब के समक्ष दिनांक 15.04.2025 व दिनांक 16.04.2025 को पेश किया जिसके तहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 22.04.2025 को नकल दी गई एवं तहसील कार्यालय से एक नकल दिनांक 22.04.2025 को ही दी गई व एक आवंटन की नकल दिनांक 20.06.2025 को आदेश कमांक : विविध/प्रतिलिपि/2025/167 दिनांक 17.06.2025 से यह दी गई कि आवंटन का रिकार्ड इस कार्यालय में नहीं है तो रेकार्ड आखिर कहा पर गया इसकी जवाबदारी स्वयं कार्यालय की रहती है। उक्त आवंटन बाबत एक प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में पेश किया गया जिसकी नकल प्राप्त करने पर उक्त आवंटन विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होने की जानकारी हुई।

3. यह कि उक्त आराजी पर आज दिनतक किसी भी अन्य का कब्जा वगेरा नहीं रहा है जन्म जन्मान्तर से उक्त आराजी पर प्रार्थी व उनके बापदादाओं का कब्जा चला आ रहा है।
4. यह कि विपक्षीगण के पिता जी ने राजस्व कर्मचारी से मिलीभगत कर उक्त आवंटन फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा लिया है तथा विपक्षीगण के पिता की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजी विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई है जबकि विपक्षीगण का उक्त आराजी पर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई कब्जा वगेरा नहीं रहा है।
5. यह कि विपक्षीगण ने वादग्रस्त आराजी के आवंटन के पश्चात कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं किया न कोई काश्त की बल्कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण काबीज होकर इस आराजी पर काश्तकारी ओजार रखते है और इस आराजी पर काश्तकारी औजार रखने के लिये एक टापरी बना रखी है जिसमें प्रार्थीगण अपने काश्तकारी औजार व सामान रखते है और लगातार 100 वर्षो से उक्त आराजी का प्रार्थीगण उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है व खेती करते चले आ रहे है। व वर्तमान में अभी मक्का,अडद,मुगफली की फसल बो रखी है। इस प्रकार प्रार्थीगण के कब्जे की आराजी को विपक्षीगण के पिता रामलाल जी के नाम आवंटित कर आवंटन कमीटी ने गम्भीर भुल की है। इस कारण वादग्रस्त आराजी का एलाटमेन्ट खारीज किये जाने योग्य है।
6. विपक्षी द्वारा एक वाद माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ के समक्ष पेश किया है उसमें प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। उक्त वाद में वादी द्वारा अपनी चरण संख्या में विवादग्रस्त आराजी का कब्जा होना बताकर वाद प्रस्तुत कर रखा है। अगर वादीगण के पास उक्त आराजी का कब्जा होता तो वह तहसीलदार से कब्जा लेने का आदेश गलत जानकारी देकर प्राप्त क्यों करते। इस तरह भी यह साबित होता है कि विपक्षीगण का कभी भी उक्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) विलम्ब माफी हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया कि :–

1. जानकारी देरी से मिलने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन अधिनियम का देरी से पेश किया गया है। इस कारण लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
2. प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का कारण युक्ति युक्त है। प्रार्थीगण ने जानबुझकर कोई गलती नहीं की है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवंटन कमांक 315/1966 दिनांक 01.09.1967 को निरस्त किया जावे और यह आराजी प्रार्थीगण के कब्जे में होने से उनके नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील जवाब मूल प्रार्थना पत्र नियम 14(4) एवं धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में लिखे अनुसार विपक्षीगण के अधिपत्य की आराजी वाके मौजा चिकलाड प.ह. चिकलाड की पुरानी आराजी नंबर 572/2 रकबा 15 बीघा होना स्वीकार है शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 गलत होने से असवीकार है। उक्त आराजीयात पर विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 का आधिपत्य अपने पिता के समय से चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने आवंटन आदेश की नकल पेश नहीं की है। इससे भी कानूनन उक्त कार्यवाही चलने के योग्य नहीं है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 कतई गलत होने से अस्वीकार है। आवंटन की गई आराजी पर विपक्षी नंबर 1 व 2 के पिता के समय से ही विपक्षी 1 व 2 का कब्जा चला आ रहा है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 कतई गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षी नंबर 1 व 2 के पिता को नियमानुसार भूमि तत्समय कानून के अनुसार हुआ है। प्रार्थीगण व उनके बाप दादाओं का उक्त आराजी पर कभी कोई आधिपत्य नहीं रहा है। आज भी आधिपत्य विपक्षी नंबर 1 व 2 का चला आ रहा है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 कतई गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी विपक्षी नंबर 1 व 2 के पिताजी को आवंट हुई थी। तब से विपक्षी के पिता का आधिपत्य चला आ रहा था व विपक्षी नंबर 1 व 2 के पिता के स्वर्गवास के बाद से विपक्षी नंबर 1 व 2 का आधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थीगण विपक्षी नंबर 1 व 2 के पिता के आवंटन भूमि को खारीज कराने के अधिकारी नहीं है। विपक्षी के पिता को उक्त भूमि 58 वर्ष पूर्व आवंटन हुई थी अब इसे कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में लिखे अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का बाद पेश करना स्वीकार है। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षी को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 की कोई जानकारी नहीं है।
7. यह कि प्रार्थीगण ने विपक्षी नंबर 3 को पक्षकार बनाया है लेकिन उनको धारा 80 सि.प्र.स. के तहत सुचना पत्र नहीं दिया है इससे कानूनन कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण की कार्यवाही मियाद बाहर है। इससे कार्यवाही खारीज होने योग्य है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9,10 के जवाब की आवश्यकता नहीं है।

विशेष कथन

1. यह कि विपक्षी नंबर 1 व 2 के पिता को आराजी आवंटन कमांक 315/1966 दिनांक 01.09.1967 को आवंटन हुई है। प्रार्थीगण ने आराजी भु आवंटन नियम 14(4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत कार्यवाही की है जो कानूनन गलत होने से निगरानी प्रारम्भिक स्तर पर ही खारीज किये जाने योग्य है।
2. यह कि प्रार्थीगण ने आराजी विपक्षी 1 व 2 के पिता को आवंटन होना बताया है। लेकिन प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी में आवंटन में किन नियमों के तहत खारीज होना चाहिए कोई कथन नहीं किया है। इससे भी प्रार्थना पत्र निगरानी खारीज होने योग्य है।

अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाव मियाद प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को शुरू से जानकारी है कि उक्त आराजी विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। प्रार्थी ने आवंटन आदेश की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना बताया लेकिन इतना पुराना रिकार्ड तहसील कार्यालय में नहीं रहता है व पुराना रिकार्ड नियमानुसार जाया कर दिया जाता है। बिना आदेश के नकल के निगरानी नहीं चल सकती है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3,4 गलत होने से अस्वीकार है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में जो शपथ पत्र पेश करना बताया है व गलत आधारों पर होने से अस्वीकार है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे व निगरानी भी मियाद बाहर होने से खारीज फरमाई जावे।

प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम में वर्णित कथनों तथा धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

इसी क्रम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र एवं मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष पर मनन करते हुए उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन करने पर ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम चिकलाड़ की साबिक आराजी संख्या 572/2 रकबा 15 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि अप्रार्थी/विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के पिता (श्रीरामलाल कलाल) के नाम जरिये आवंटन मिशल संख्या 315/1966 दिनांक 01.09.1967 के द्वारा आवंटीत की गई है जिसकी ताईद पत्रावली में संलग्न रिकार्ड दस्तावेज प्रमाणित प्रति सनद् आदेश तहसीलदार प्रतापगढ़ दिनांक 01.09.1967 से होती है तथा उक्त सनद् पट्टा आदेश के क्रम में आवंटी को आवंटित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 66 प्रमाणित दिनांक 22.11.1967 के द्वारा आवंटी अप्रार्थी/विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के पिता (श्रीरामलाल कलाल) के नाम बतौर गैर–खातेदारी से दर्ज होना भी जाहीर आया है।

प्रकरण में विवादित भूमि साबिक आराजी संख्या 572/2 रकबा 15 बीघा भूमि के भाग नवीन आराजी संख्या 753 रकबा 0.58 हैक्टर बने हो प्रार्थी द्वारा मिलान क्षेत्रफल नहीं संलग्न किया है जिससे वर्तमान राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम चिकलाड़ वर्तमान खाता संख्या 32 आराजी संख्या 753 रकबा 0.58 हैक्टर दिनांक 03.07.2025 से साबित होता हो किन्तु उक्त भूमि रकबा अप्रार्थी/विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। सामान्यतः गैर–खातेदारी से खातेदारी प्रदान करते समय कब्जे का काश्त की अवधारणा के साथ आवंटन शर्तो की पालना उपरान्त ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर तत्कालिन समय में प्रार्थीगण की कब्जा काश्त रही हो प्रमाणित नहीं होता है और न ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसे साक्ष्य रिकार्ड पर प्रस्तुत किये गये है जिससे यह तथ्य स्वीकार किये जा सके।

प्रकरण में विवादित भूमि का कब्जा अन्तरण के संबंध में तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा जारी कमेटी आदेश सक्षम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 28/2022 निर्णय दिनांक 06.08.2024 के अधीन की गई कार्यवाही है जिससे आवंटन गलत होना साबित नहीं होता है बल्कि अप्रार्थी/आवंटी की खातेदारी भूमि पर अन्य द्वारा कब्जा साबित होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के आवंटन निरस्ती हेतु कोई ठोस कारण अथवा उसके कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे आवंटन निरस्ती आवेदन को संपुष्ट ठहराया जा सके। इसी परिपेक्ष्य में दौराने बहस और अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र एवं मियाद प्रार्थना पत्र से ज़ाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अत्यधीक विलम्ब के साथ लगभग आवंटन आदेश के 58 वर्षो बाद मात्र अवैधानिक कब्जे काश्त के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और उक्त आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तावित नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के पूर्व से जारी आवंटन सनद आदेश दिनांक 01.09.1967 किस प्रकार लागू होते है, तर्क संगत प्रतीत नहीं होते है तथा प्रार्थीगण उक्त बिन्दु साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बिन्दु और मेरिट आधार पर सिद्ध योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को सरे इजलास सुनाया जाकर लिखाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़